ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर०ई० वाद सं०–02/2018–19

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
04.09.24	**आदेश** प्रस्तुत आर०ई० वाद संख्या–02/2018–19 (असलम शेख एवं अन्य –बनाम–इशलाम शेख एवं अन्य) आवेदक–असलम शेख एवं अहमद शेख पिता–स्व0 नावेद शेख, सा०–आस्ता, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा विपक्षी–इशलाम शेख, पिता–स्व0 बड़ा युसुफ शेख, असलम शेख, असरफ शेख, सरफराज शेख, पिता–इशलाम शेख, सा0–पथलजोर, जफर हुसैन, पिता–अमीरूद्दीन शेख सा0–आस्ता, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् प्रशनगत भूमि मौजा–आस्ता, थाना नं0–252, जमाबंदी नं०–31/क, दाग नं०–227, रकवा--69 डी0 भूमि से उच्छेद करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में कार्यवाही प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में विपक्षी को नोटिस निर्गत करते हुए, अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–535/रा०, दिनांक–03/07/2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त, जो अभिलेखबद्ध है। 03. अंचल अधिकारी, मधुपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि मौजा–आस्ता, थाना नं0–252, जमाबंदी नं०–31/क, दाग नं०–227, रकवा–69 डी0, किस्म–बाड़ी ऑवल जमाबंदी रैयत रामजान शेख वल्द सनीरूद्दीन शेख के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है। आवेदकगण खतियानी रैयत के वंशज है। विपक्षी खतियानी रैयत के वंशज में नहीं आते हैं। आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। 04. अंचल अधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा अपने दावे के समर्थन में कोई वैधानिक कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदित भूमि रैयती जमाबंदी है, जो अहस्तांतरणीय है। विपक्षी का खतियानी रैयत से कोई संबंध नहीं है, परन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा गैरकानूनी रूप से आवेदित भूमि पर दखल–कब्जा किया गया है, जो संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20 के विरूद्ध है।	

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
	05. अतः उपरोक्त तथ्यों, दाखिल कागजातों एवं अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर विपक्षी–इशलाम शेख, पिता–स्व0 बड़ा युसुफ शेख, असलम शेख, असरफ शेख, सरफराज शेख, पिता–इशलाम शेख, सा0–पथलजोर, जफर हुसैन, पिता–अमीरूद्दीन शेख सा0–आस्ता, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को प्रश्नगत भूमि मौजा–आस्ता, थाना नं0–252, जमाबंदी नं०–31/क, दाग नं०–227, रकवा–69 डी0 भूमि से संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–42 के तहत् उच्छेद किया जाता है। तद्नुसार उच्छेदी परवाना निर्गत करें। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें। **लेखापित एवं शुद्धित** 04/09/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। 04/09/24 अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर।	पत्रांक 406 एवं 407 डी0 दिनांक 18-9-24

Digitally signed by AASHISH AGARWAL
Date: 2024.09.21 15:38:02 +05:30
Location: 192.168.29.15